न्यायालय- वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ।

मूल वाद संख्या 174/2024

सिंडीकेट बैंक बनाम कुमारी सम्बुल यामीन और अन्य

दिनांकः 19-08-2025

वाद पुकारा गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। दिनांक 25-07-2025 को प्रतिवादी संख्या 2 के विधिक प्रतिनिधि 2/1 श्रीमती जीनत, 2/2 कुमारी सम्बुल यामीन एवं 2/3 नैला सुबुही पर नोटिस की तामील पर्याप्त मानी जा चुकी है, किन्तु बार-बार पुकार कराये जाने पर भी प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 32ग

प्रार्थना पत्र कागज संख्या 32ग वादी द्वारा शपथपत्र कागज संख्या 32ग/3 के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर आदेशिकावाहक की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 हाफीज मौ. यामीन का देहान्त हो गया है। प्रतिवादी संख्या 2 हाफीज मौ. यामीन ने अपने वारिस के रूप में अपनी पत्नी श्रीमती जीनत, पुत्री कु. सम्बुल यामीन एवं मिस. नाइला सुबुही को छोड़ा है। कु. सम्बुल यामीन एवं मिस. नाइला सुबुही पहले से ही वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के रूप में पक्षकार है। इसलिए वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 2 के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

मैंने प्रार्थनापत्र कागज संख्या 32ग पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

मृतक प्रतिवादी संख्या 2 के विधिक प्रतिनिधि कु. सम्बुल यामीन व मि. नाइला सुबुही पहले से ही मामले में पक्षकार है। अतः वर्तमान मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या 32ग अंशतः स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज 32ग अंशतः श्रीमती जीनत को प्रतिस्थापित करने के सम्बन्ध में स्वीकार किया जाता है। वादी प्रतिवादी संख्या 2 के विधिक प्रतिनिधि श्रीमती जीनत को प्रतिस्थापित करने हेतु वाद पत्र में आवश्यक संशोधन एक सप्ताह के अन्दर करे। वाद पत्र में संशोधन करने के उपरान्त प्रतिवादीगण को दोनों प्रकार से समन जारी हो। इस निमित वादी अविलम्ब आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली दिनांक 10-09-2025 को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय सं० 1,
मेरठ।

Digitally signed by SATYA NAND UPADHYAY
Date: 2025.08.19 16:51:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court